A.A.G. 7.
9/4/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No of 2014

Dharmendra Kumar Singh .....Petitioner

Versus

The State of Bihar & others ....Respondents

Subject:-Works Contract

INDEX

Sl. No	Particulars	Page Nos
1.	Synopsis & List of dates	A - B
2.	Writ Application with Affidavit	1 to 15
3.	Annexure-1:- Photocopy of agreement	16 – 18
4.	Annexure-2:-Photocopy of letter dated 04.05.2013	19 – 23
5.	Annexure-3series :-Photocopies of various orders	24 – 28
6.	Annexure-4:-Photocopies of letters	29 – 34
7.	Vakalatnama	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No of 2014

Dharmendra Kumar Singh .....Petitioner

Versus

The State of Bihar & others ....Respondents

SYNOPSIS & LIST OF DATES

1. That through the present writ application the petitioner seeks following reliefs :-

i) To issue a writ in the nature of Mandamus commanding the respondents for the payment of bill for the work done by the petitioner.

ii) To issue a direction commanding the respondents to pay the statutory and penal interest on the bill amount which has been illegally been withheld.

iii) To any other relief or reliefs for which the petitioners are found to be entitled in the facts and circumstances of the case.

Agreement for year 2009-10:- Agreement was executed between the petitioner and District Water and Hygiene Committee Madhepura for execution of work.

Various orders:- Various orders related to execution of work was directed to the petitioner.

Letter dated 04.05.2013:- The petitioner has not been paid money for the work executed by him. The petitioner wrote several letters including this to authorities for the payment of the work done by him.

That the petitioner runs an organization which caters to the need of Public Health Engineering Department. The petitioner is paid for the work executed. But these days, owing to illegal and arbitrary action of the respondent the petitioner is not paid the bill amount for the work executed by him. The petitioner being a petty contractor is unable to face the situation on the ground that due to paucity of fund the petitioner cannot go for execution of another work nor he has the necessary wherewithal to execute the work which are already in progress.

Hence, this writ application.

85

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
PATNA SCORE PATNA
COURT FEE
Authorization No. 2675
भारत
INDIA
00000
Rs. 0000285 -7.4.2014
375459
*Zero*Zero*Zero*Zero*Two*Eight Five*
बिहार
JUDICIAL
BIHAR

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C No   of 2014

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

And

In the matter of

Dharmendra Kumar Singh, Son of Sri Ambika Prasad Singh, resident of village –Mahua, P.O- Arraha, Police Station-Ghelard, District- Madhepura.

.......Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary.
2. The Principal Secretary, Public Health Engineering Department, Government of Bihar, Patna.

3. The Engineer-in-Chief, Public Health Engineering Department, Government of Bihar, Patna.

4. The Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Government of Bihar, Patna.

5. The Superintending Engineer, Koshi Division, Public Health Engineering Department, Government of Bihar, Patna.

6. The Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Madhepura.

7. The Executive Engineer cum Member Secretary, District Water and Hygiene Committee, Madhepura.

8. Mr. Narayan Shankar Jha, presently posted as Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Madhepura.

9. The Commissioner, Koshi Division.

10. The District Magistrate, Madhepura.

...........Respondents

To,

The Hon'ble MS Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Hon'ble Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named.

Most Respectfully Sheweth:

1. That through the present writ application the petitioner seeks following reliefs:-

i) To issue a writ in the nature of Mandamus commanding the respondents for the payment of bill for the work done by the petitioner.

ii) To issue a direction commanding the respondents to pay the statutory and penal interest on the bill amount which has illegally been withheld.

iii) To any other relief or reliefs for which the petitioners are found to be entitled in the facts and circumstances of the case.

2. That the main questions of law involved in the writ application are as follows:-

a) Whether are the authorities duty bound to pay the expenses incurred by the petitioner for the work done?

b) Whether can the authorities take the justification that in absence of any work order, payment cannot be made?

c) Whether are the authorities bound to look into the actual state of affairs and to examine and verify that whether the work has actually been done or not and if the work has been done then the payment must be made forthwith without any delay?

d) Whether can the authorities take any plea regarding non-issuance of work order despite the fact that the same has been previously done as the work being done without issuance of work order and once the work is completed then after verifying the quality of the work, payment is made accordingly?

e) Whether is such plea of non-issuance of work order against the principles of legitimate expectation?

f) Whether is the case of the respondents that the petitioner has managed to get the work at the cost of other rather owing to the nature of work and exigency of administrative action, these works necessitate the situations where execution of the work is the first priority and once the work is executed then after arriving at the satisfaction and after examinee the truthfulness of the bill for actual expenses incurred for the work done, the payment is made?

g) Whether is the case that the petitioner has surreptitiously got the work at the cost of others rather due to the nature of the work, very few persons and in fact, the petitioner being the sole executing person, does the work of such type?

h) Whether does the non –payment of the bill for the work done cause prejudice to the petitioner as the petitioner remains in severe financial crisis and he cannot go for fresh work due to dearth of money?

i) Whether is the action of the authorities arbitrary, illegal and malafide?

j) Whether is the non-payment of the bill by the authorities purported exercise of power?

k) Whether does the principle of no work being gratuitous apply in equal force to the authorities. Once the petitioner has done the work then the payment must be made and technicalities should not come in way to defeat the genuine claims of the petitioner?

l) Whether is the petitioner entitled for the payment of bill along with statutory and penal interest for the delayed payment?

3 That the petitioner is a citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble High Court therefore the petitioner is entitled to invoke extra ordinary jurisdiction of this Hon'ble High Court.

4. That the petitioner runs an organization namely Lok Bharati Sewa Ashram in the district of Madhepura. This organization in association with Public Health and Engineering Department has successfully conducted various activities of health and hygiene in the district. Under the instructions of the department, the organization has successfully conducted qualitative works of the different nature.

5. That as per normal procedure, the work order is issued and the petitioner executes the works and then the payment for the work is made after verification of the bills submitted by the petitioner for the work executed. Initially the petitioner has entered into an agreement with District Water and Hygiene Committee, Madhepura for execution of work. In fact, the District Water and

Hygiene Committee is the supervisory body which allocates the work for maintaining hygiene and cleanliness and also other works.

Photocopy of agreement is annexed herewith and marked as Annexure- 1 to this writ application.

6. That normally the petitioner is paid for the work done by the department on the basis of prior work order. Some time, due to paucity of time or due to some administrative exigency, the works are executed on oral directions and without issuance of any formal work order. The moment the works assigned to the petitioner is completed then the petitioner submits the bill for the work executed by him. The authorities after being satisfied with the quality and execution of the work done by the petitioner, do verify the work at their own level. After necessary administrative actions, the bills submitted by the petitioner are verified and thereafter the payment for the work done by the petitioner is made.

7. That the petitioner has successfully executed all the works assigned to him from time to time. In some cases, the work order is issued prior to the start of the work, in some cases, the

work order is issued in the midst of the work and in some cases the work order is issued after the completion of the work. Whenever the petitioner asks for issuance of work order before the completion of the work then the authorities assure and direct the petitioner to complete the work first and then after verification of the work and commensurate bill, the payment for the bill amount is made. Since the petitioner has been successfully completed the work both in qualitative and quantitative terms therefore the bills for the work done are paid accordingly. The petitioner herein is annexing the latest document to show that in some cases, after completion of the work, the authorities after arriving at satisfaction over the work make the order for the payment of the bill for the work done by the petitioner.

Photocopy of letter dated 04.05.2013 is annexed and marked as Annexure-2 to this writ application.

8. That the district administration from time to time issues instructions for execution of certain minor, temporary and adhoc works. The executions of these works are necessitated due to exigency of some programme at the level of district administration.

For example, if some higher officials are visiting or some public gathering is to be organized then temporary arrangement of bath room, potable drinking water and in some case if public awareness programme is to be executed then wide spread information of these awareness programme is required which is to be done through banners, posters, installation of stall and others. The petitioner herein is annexing few orders of the district administration by way of illustration in order to show the variegated nature of work to be executed.

Photocopies of various orders are annexed and marked as Annexure-3 series to this writ application.

9. That the petitioner has executed the work assigned to him through work order or through oral order. But the payment for the same has been withheld by the Executive Engineer. In fact, the newly incumbent Executive Engineer has created problems in payment of the bill for the actual expenses incurred by the petitioner during the course of execution of the work. The said Executive Engineer has a different modus operandi for getting the work executed by the petitioner. The said Executive Engineer

initially orders for execution of the work and when the petitioner asks for the work order then the said Executive Engineer orally ensures that firstly complete the work then the work order will be issued and payment will be made. But despite execution of the work assigned to the petitioner and completing the same to the satisfaction of the authorities, the payment is not made and the same has been withheld by the authorities without any rhyme or reason. The petitioner has written numerous complaints and letters to different authorities for the payment of the work done by the petitioner but no response has been made till this date.

Photocopies of letters are annexed and marked as Annexure-4 series to this writ application

10. That the petitioner is a petty contractor. The petitioner's money has been used for incurring expenses for the execution and completion of work. The payment has not been made. This puts the petitioner into severe financial crises because these money are used as running amount which the petitioner uses for doing the work. If the money is withheld and the bill for the actual expenses are not paid then the petitioner would not be in a position to go for another

work. Since the petitioner is not financially well off so that he can afford to get his money in one project and despite non-payment of the bill, the petitioner cannot go for another work. This will create another crisis to the petitioner on account of the fact that due to paucity of money the petitioner would not be in a position to start another work therefore the very existence of petitioner as a petty contractor would be in danger. The inaction on the part of the authorities in non-payment of the bill for actual expenses has an adverse effect on the profession and business of the petitioner.

11. That the authorities are duty bound to pay the expenses incurred by the petitioner for the work done. The authorities cannot take the justification that in absence of any work order, payment cannot be made.

12. That the authorities are bound to look into the actual state of affairs and to examine and verify that whether the work has actually been done or not and if the work has been done then the payment must be made forthwith without any delay.

13. That the authorities cannot take any plea regarding non-issuance of work order on the ground that the same has been previously done as the work being done without issuance of work

order and once the work is completed then after verifying the quality of the work, payment is made accordingly. Therefore any such plea of non-issuance of work order is against the principles of legitimate expectation.

14. That it is not the case of the respondents that the petitioner has managed to get the work at the cost of other rather owing to the nature of work and exigency of administrative action, these works necessitate the situations where execution of the work is the first priority and once the work is executed then after arriving at the satisfaction and after examinee the truthfulness of the bill for actual expenses incurred for the work done, the payment is made. It is not the case that the petitioner has surreptitiously got the work at the cost of others rather due to the nature of the work, very few persons and in fact, the petitioner being the sole executing person, does the work of such type.

15. That non –payment of the bill for the work done causes prejudice to the petitioner. On one hand due to such, the petitioner remains in severe financial crisis and on the other hand, the petitioner cannot go for fresh work due to dearth of money.

16. That the action of the authorities is arbitrary, illegal and malafide.

17. That non-payment of the bill by the authorities is purported exercise of power.

18. That the principle of no work is gratuitous applies in equal force to the authorities. Once the petitioner has done the work then the payment must be made and technicalities should not come in way to defeat the genuine claims of the petitioner.

19. That the petitioner is entitled for the payment of bill along with statutory and penal interest for the delayed payment.

20. That the petitioner has no alternative remedy than to move this Hon'ble Court for redressal of the grievances.

21. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court for the reliefs stated in the matter.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to consider the facts and circumstances of the case and issue Rule NISI calling upon the respondents as to why reliefs prayed for in paragraph No.1 in this writ

application be not allowed in favour of the petitioner and upon return of the rule and make the rule absolute.

And /or

Pass such other order(s) or direction(s) as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Dharmendra Kumar Singh, aged about 40 years, Son of Sri Ambika Prasad Singh, resident of village –Mahua, P.O- Arraha, Police Station-Ghelard, District- Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows.

1. That I am the petitioner and as such I am acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That I have read the contents of this writ application and explained to me in Hindi and I have fully understood the same. The statement made in paragraph Nos 1 to 4, 6, 10 to 21 are true to my knowledge and those made in paragraph Nos 5, 7, 8, 9 are true to my information derived from the records of the case and the rests are by way of submissions before this Hon'ble Court.

3. That the annexures are true copies of their respective original.

धर्मेन्द्र सिंह

Annexure-1 (16)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा

एकरारनामा संख्याः– .... / वर्ष 2009–10

कार्य योजना –	सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम
प्रथम पक्ष –	जिला जल एवं स्वच्छता समिति
द्वितीय पक्ष –	गैर सरकारी संस्था का नाम–लोक भारती सेवा आश्रम कुनौली सुपौल शाखा मुरलीगंज मधेपुरा

प्रथम पक्ष की पार्टी का कार्य एवं दायित्वः–

1. सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजलापूर्ति मिशन एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार द्वितीय पक्ष का चयन करना।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा पूरा किए गए कार्यो का मूल्यांकन कर उसका भुगतान करना और भविष्य मे होने वाले कार्यो के लिए अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देना।

दूसरे पक्ष की पार्टी का कार्य एवं दायित्वः–

(1) प्रथम पक्ष से विमर्श कर क्षेत्रवार अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना और कार्य शुरू करना।

(2) योजना निर्देश के मार्गदर्शन के अनुसार ग्राम–स्तर पर जागरूकता पैदा करना।

(3) योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को निरन्तर मार्गदर्शन देना।

(4) ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में भाग लेना और योजना कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी देना एवं आवश्यक मार्गदर्शन देना।

(5) वैयक्तिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयो और दूसरे स्वच्छता अधिष्ठापन सम्बन्धी कार्यो का कार्यान्वयन/कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करना और निरन्तर निगरानी रख परिवेश को स्वच्छ बनाए रहने मे मदद करना।

(6) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पंचायत स्तर पर गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन करना।

(7) ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा समय पर प्रगति प्रतिवेदन और अन्य आँकड़े विहित नियमों एवं निदेशों के अनुरूप प्रस्तुत हो सके, इसे सुनिश्चित करना।

(8) जन प्रतिनिधियों/ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग करना, योजना के प्रति जागरूक बनाना तथा इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रसस्त करना।

(9) कार्यादेश की तिथि से आरम्भिक गतिविधि/आई0ई0सी0 कार्य को प्रारम्भ करना और बेस लाईन सर्वे के पश्चात परियोजना कार्यान्वयन प्लान तैयार करना।

(10) प्रथम पक्ष द्वारा योजना कार्यान्वयन से संबंधित सभी निदेशों का पालन। आवश्यकतानुसार हार्डवेयर कार्य भी सम्पादित करना।

<u>अन्य शर्तें:-</u>

(1) सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम से सम्बद्ध दूसरे पक्ष की पार्टी और अन्य पार्टियों के बीच प्रथम पक्ष की पार्टी मध्यस्थता का कार्य करेगी।

(2) सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए और अन्ततः योजना को सफल बनाने के लिए विहित नितियों को लागू करने में द्वितीय पक्ष की पार्टी फेसिलिटेटर (Facilitator) का कार्य करेगी और इसके लिए प्रथम पक्ष की पार्टी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करने के लिए बाध्य होगी। अन्तिम निर्णय तक पहुँचने के पहले दोनों पार्टियाँ योजना के हित में एक दूसरे से सम्पर्क करेंगी।

(3) द्वितीय पक्ष टी0एस0सी0 और एन0आई0पी0 के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य शुरू करेगी और इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों को मानने हेतु बाध्य होगी।

(4) प्रथम पक्ष की ओर से राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजना में सुझाए गए बदलाव को मानने के लिए द्वितीय पक्ष बाध्य होगी।

(5) सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के प्रभावकारी और अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन करने में द्वितीय पक्ष फेसिलिटेटर होगी और योजना में समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करेगी।

(6) द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सम्पादित कार्यो का साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन भेजेगी जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धि, वित्तीय प्रगति, कार्य में लगे कार्यबल और कार्य सम्पादन में आई रूकावटें एवं कठिनाईयों का उल्लेख करेगी।

(7) द्वितीय पक्ष योजना के सम्पादित किए गये कार्यो के अभिलेखों का रख-रखाव करेगी और प्रथम पक्ष को जाँच करने हेतु प्रस्तुत करेगी और प्रथम पक्ष द्वारा माँगे जाने पर उसका प्रति उसे मुहैया करायेगी।

(8) द्वितीय पक्ष योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सही वातावरण बनाने के लिए जवाबदेह होगी।

(9) प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि संबंधित द्वितीय पक्ष को छोड़कर यदि ऐसा करना आवश्यक हो, किसी दूसरे एन0 जी0 ओ0 या फेसिलिटेटर को इसी उद्देश्य का निश्चित अवधि का अनुबंध दें।

(10) जिला जल एवं स्वच्छता समिति नीचे दिए गये कारणों के आधार पर अपने विवेक के अनुसार संविदा को रद्द करेगी।

(क) यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति को दिया गया सूचना असत्य और गुमराह करने वाला हो।

(ख) यदि सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन में लाभार्थियों का प्रभावकारी भागीदारी द्वितीय पक्ष द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया हो।

(ग) यदि दूसरे पक्ष वित्तीय प्रगति समय पर नहीं समर्पित करें।

(घ) यदि द्वितीय पक्ष लगातार 10 दिन तक कार्य को बंद कर दे बशर्ते कि ऐसा करने के लिए जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया हो।

[signature]

(ख) यदि जिला जल एवं स्वच्छता समिति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति/एजेंसी या राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन या राज्य स्तरीय जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा नियुक्त कोई प्रतिनिधी यह सुझाव दे कि किसी खास कमी से अनुबंध के शर्त्त का पालन नहीं हुआ है और दूसरे पक्ष इस कमी को एक निश्चित अवधि में दूर नहीं करें।

(11) यदि प्रथम पक्ष यह पाती है कि द्वितीय पक्ष ने योजना के विरूद्ध कार्य किया है तो एक सप्ताह की सूचना देकर ठेके को रद्द कर सकती है।

(12) द्वितीय पक्ष संविदा के दो सप्ताह के अन्दर कार्य को प्रारंभ करेगी।

(13) प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष या उसके प्रति उसके प्रतिनिधिया द्वारा किए गए किसी गलती के लिए जवाबदेह नही होगी परन्तु द्वितीय पक्ष अपने या अपने प्रतिनिधियों द्वारा योजना को पहुँचाए गए किसी क्षति या घाटे के लिए जवाबदेह होगी।

(14) किसी विवाद की स्थिति में प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को दोनों पक्ष मानने कि लिए बाध्य होगी।

दोनों पक्ष संविदा को पढ़े और इससे सहमत हुए और आज अपना हस्ताक्षर किए:–

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

गवाह नाम– पिता का नाम– पता–

(1)

(2)

2 Annexure-2 19

DEDICATED TO RURAL DEVELOPMENT

LOK BHARTI SEVA ASHRAM

Head Office: Kunauli (P.O.) Dist-Supual (Bihar) Pin - 847451

CO-Ordination : Basantpur, ward No.- 11, (Supaul) Pin- 854340, Ph.: 06471-244006, 9430017974
9199504549, 9939219396

Branch Office: Guljarbagh Ward No.- 20, Pin- 852113, Dist- Madhepura
Ph. 06476-224567 Mob: 9304109495, 9939219396, BIHAR

Ref. No. 93 - LBSA Date. 04:05:13

सेवा में

कार्यपालक अभियंता--सह--सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति मधेपुरा।

विषय :-- निर्मित विद्यालय शौचालय की राशि भुगतान करने के संबंध में

महाशय,

सविनय निवेदन है कि संस्था द्वारा कुमारखण्ड प्रखण्ड के पंचायत--रामनगर महेश के रामनगर महेश गॉव में रामकृष्ण म० वि० श्रीनगर में गुणवतापूर्ण शौचालय का निर्माण करा दिया गया है। एवं विहित विपत्र पर स्कूल प्रधान को हस्तगत करा दिया गया है।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उक्त विपत्र पर आवश्यक कार्रवाई कर राशि भुगतान करने कि असीम कृपा प्रदान करें । इसके लिए संस्था श्रीमान् का सदा आभारी रहेगी

विदित हो कि उक्त शौचालयों का पूर्व में भुगतान नहीं हुआ है।

विश्वासभाजन

JOINT SECRETARY
LOK BHARTI SEVA ASHRAM

20

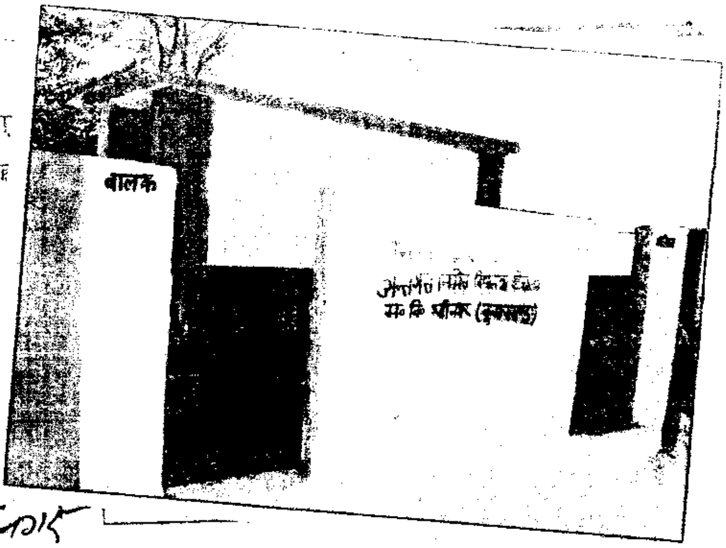

विद्यालय स्वच्छता [illegible]

विद्यालय शौचालय को पूर्ण रूप से [illegible]

जिला मधेपुरा

प्रखंड कुमारखण्ड

पंचायत रामनगर महेश

ग्राम ,,

संकुल श्रीनगर

विद्यालय: रामकृष्ण मध्य वि० श्रीनगर

घोषणा प्रपत्र

- विद्यालय शौचालय निर्माण का कार्य LOSA .... द्वारा पूर्ण किया गया।
- विद्यालय में शौचालय निर्माण के लिए स्थल का चयन विद्यालय शिक्षा समिति, अध्यापकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने [illegible] किया। स्थल चयन प्रपत्र संलग्न हैं।
- शौचलय का निर्माण दिनांक 20.02.13 को आरम्भ किया गया।
- शौचालय निर्माण दिनांक 16.03.13 को पूर्ण किया गया।
- शौचालय पीने के पानी के स्त्रोत से 10 मीटर की दूरी पर है।
- शौचालय जल जमाव क्षेत्र से दूरी पर है।
- शौचालय का निर्माण मार्गदर्शिका के अनुरूप किया गया।
- शौचालय एवं मुत्रालय का ढाल एवं जलप्रवाह प्रणाली
- शौचालय मार्गदर्शिका के अनुरूप है।
- शौचालय पैन सही ढंग से स्थापित है और सुचारू रूप से कार्यशील है।
- शौचालय का दरवाजा आसानी से खुलता है और दरवाजे की कुंडी को बच्चे आसानी से उपयोग कर सकते हैं।
- सीमेंट या अन्य निर्माण पदार्थ दीवार एवं फर्श से साफ कर दिए गए हैं।
- शौचालय का [illegible] निर्देश के अनुसार है एवं सुचारू रूप से काम कर रहा है।
- पाईप लाईन यथा निर्देश [illegible] है और जंक्शन बॉक्स डिजाईन के अनुसार है।
- बच्चे शौचालय तक आसानी से पहुँच सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। शौचालय की सीढ़ी दुरूस्त है।
- शौचालय का [illegible] सही ढंग से बनाया गया है। टैंक रिसता नहीं है।

निरीक्षण प्रतिवेदन जो निर्माण के वक्त तैयार किया गया है, संलग्न है।

प्रमाणित किया जाता है कि रामकृष्ण म०वि० श्रीनगर विद्यालय में शौचालय का निर्माण मार्गदर्शिका के अनुरूप किया गया है। शौचालय का [illegible] एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय की होगी। आज दिनांक .... को विद्यालय शौचालय [illegible] विद्यालय को सुपुर्द किया जाता है।

सचिव, विद्यालय शिक्षा समिति

प्रधानाध्यापक
राम कृष्ण म० वि० श्रीनगर 2013
कुमारखंड (मधेपुरा)

गीता देवी

JOINT SECRETARY

20.6.13

कुमारखण्ड

21

- शौचालय विद्यालय परिसर के अंदर स्थित है? — हाँ / नहीं
- स्थान और रास्ता घास / झाड़ियों से मुक्त है — हाँ / नहीं
- विद्यालय भवन से शौचालय की दूरी 10 मीटर से अधिक है — हाँ / नहीं
- निम्नभूमि / जलजमाव क्षेत्र से दूर है? — हाँ / नहीं
- शौचालय का स्थान लड़कियों के लिए पर्दा के दृष्टिकोण से सुरक्षित है — हाँ / नहीं
- शौचालय का प्रवेश द्वार सड़क / कक्षा की ओर खुलता है — हाँ / नहीं
- शौचालय एकान्ती स्थान पर स्थित है? — हाँ / नहीं

कितनी इकाईयाँ बनाई जानी है

• शौचालय	लड़कियाँ	01	लड़के	01
• मूत्रालय	लड़कियाँ	03	लड़के	03

शौचालय का स्थान जलसुविधा, भविष्य में होने वाले निर्माण का स्थान दर्शानेवाला युक्त विद्यालय परिसर का नक्शा (शौचालय, जल सुविधा, भविष्य में होने वाले निर्माण का स्थान के बीच की दूरी मीटर में)

निरीक्षक द्वारा
प्रमाणित किया
[illegible]
[illegible]

हस्ताक्षर रीता कुमारी
रीता कुमारी
प्रधानाध्यापक
[illegible] कुमार [illegible] वि० [illegible]
प्रखंड [illegible] ([illegible]पुर)
04-8-2013

विद्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा बिहार
[illegible] स्थल चयन / निर्माण चेकलिस्ट

unicef

विद्यालय का नाम → रामकृष्ण म० श्री नगर

जिला मधेपुरा — ग्राम पंचायत राम नगर महेशा

प्रखंड श्री नगर

संकुल कुमारखण्ड

शिक्षक 5 — कुल — पुरुष 4 — महिला 1

नामांकित छात्र संख्या — कुल 436 — लड़कियाँ — लड़के

स्थान चयन
चयन की तिथि 04-2-2013

[illegible] का स्थान चयन किसने किया व्यक्ति का हस्ताक्षर जिसने स्थान चयन प्रक्रिया में भाग लिया

प्रधानाध्यापक	शैल कुमारी — नाम	हस्ताक्षर	शैल कुमारी — प्रधानाध्यापक राम कृष्ण म० वि०
शिक्षक	धीरेन्द्र कुमार सिंह — नाम	हस्ताक्षर	धीरेन्द्र कुमार सिंह — [illegible] कुमारखंड
वरीय शिक्षक	नाम	हस्ताक्षर	
[illegible] सचिव	गीता देवी — नाम	हस्ताक्षर	गीता देवी
[illegible]	नाम	हस्ताक्षर	
[illegible] परिवेक्षक	नाम	हस्ताक्षर	

[illegible] का [illegible]

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा अन्तर्गत विद्यालय निर्मित शौचालय हेतु विपत्र।

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वि० का नाम	संस्था का नाम जिनके द्वारा शौचालय का निर्माण किया गया है।	कुल राशि	कटौती	भुगतेय राशि
01.	कुमारखण्ड	रामनगर महेश	रा०क० म०वि० [illegible]	लोक भारती सेवा आश्रम	69037/-	3044/-	65733/-
02.							
03.							
04.							
05.							

प्रधानाध्यापक को सूपुर्द किये गए शौचालय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

सचिव/अध्यक्ष — कनीय अभियंता — सहायक अभियंता

लोक स्वा० प्रशाखा...[illegible] — लोक स्वा० अवर प्रमंडल...............।

Materials consumed.

1. Bricks-5320 Nos.
2. Send-3.749 M3
3. Stone chips-1.54 M3

Royality

Junior Engineer

Annexure-3 series 24

जिला कृषि कार्यालय, मधेपुरा

ज्ञापांक XI-07/11-12.....1662...../ दिनांक.....24.....वीं दिसम्बर 2011

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
मधेपुरा

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, मधेपुरा
प्रबंधक नारियल विकास बोर्ड, मधेपुरा
जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा
प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा
जिल मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा
जिला उद्यान विकास पदाधिकारी, मधेपुरा
जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा
सचिव, नेहरू युवा केन्द्र, मधेपुरा
सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा
क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार राज्य बीज निगम, बेगूसराय
क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पूर्णियां
क्षेत्रीय प्रबंधक, तराई बीज निगम, पंतनगर

विषयः- **दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 को प्रखण्ड मुख्यालय पुरैनी (मधेपुरा) में कृषि यांत्रिकरण-सह-उपादान मेला का आयोजन में विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में।**

प्रसंगः- सचिव, कृषि, बिहार, पटना के संख्या 5041 दिनांक 18.11.2011

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में दिनांक :- 30 दिसम्बर, 2011 को प्रखण्ड मुख्यालय पुरैनी (मधेपुरा) में कृषि यांत्रिकरण -सह- उपादान मेला का आयोजन किया गया है। उक्त मेला में कृषकों एवं आगंतकों के लिए विभागीय स्टॉल, कृषि यंत्र, पौधा संरक्षण यंत्र सूक्ष्मपोषक तत्व आदि का स्टॉल मुख्य आकर्षण का केन्द्र होता है। इस मेला में कृषकों को अनुदान पर उपादान वितरण के साथ-साथ प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने-अपने विभाग से संबंधित स्टॉल प्रदर्शनी लगाकर कृषकों को लाभान्वित करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन

जिला कृषि पदाधिकारी,
मधेपुरा

24/12

सचिव, लोक भारती सेवा आश्रम, कुजौली सुपौल

दिनांक 30 दिसम्बर 2011 को प्रखंड मुख्यालय पुरैनी में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, लोहिया स्वच्छता योजना के प्रचार प्रसार हेतु स्टाल नियत समय पर लगाया जाय

Manoj

25

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा

पत्रांक- 1232

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा
निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,
असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा
कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधेपुरा।

दिनांक- 30 जून, 2012 ई०।

विषय :- **दिनांक-07.07.2012 को प्रखंड स्तरीय इन्दिरा आवास पासबुक वितरण शिविर में सभी विभागों का स्टॉल अलग-अलग आयोजन करने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार पटना द्वारा दिनांक-27.06.2012 को आयोजित बैठक में निदेश दिया गया है कि इन्दिरा आवास पासबुक वितरण शिविर में स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, मनरेगा योजना, स्वयं सहायता समूहों का स्टॉल अलग-अलग लगाया जायगा। अपने-अपने विभागों से सरकार द्वारा दी जा रही सहायता का पूर्ण प्रचार-प्रसार सामग्रियों का वितरण प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में करवाया जाय। अपने-अपने विभाग से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में कर दी जाय। अपने विभाग से संबंधित बैनर भी आप ही तैयार करवा कर लगावें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

26

समाहरणालय, मधेपुरा
गोपनीय शाखा
पत्रांक.......................... /गो0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला नजारत उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा।
प्राचार्य, मधेपुरा डिग्री कॉलेज, मधेपुरा।
प्राचार्या, एस.एन.पी.एम. उच्च विद्यालय, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक.........................

विषय - माननीय मुख्यमंत्री के "अधिकार यात्रा" के क्रम में उनकी सुरक्षा हेतु बाहर से आने वाले पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस एवं महिला पुलिस के आगमन पर उनके आवासन हेतु विद्यालय/छात्रावास/कलाभवन के आरक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री के "अधिकार यात्रा" के निमित्त उनके आगमन के अवसर पर जिले में बाहर से आने वाले पुलिस पदाधिकारियों /पुलिस एवं महिला पुलिस के ठहराव हेतु दिनांक-25.09.2012 से 29.09.2012 तक के लिए निम्नांकित विद्यालय/छात्रावास/कलाभवन को निम्न प्रकार आरक्षित की जाती है :-

क्रमांक	विद्यालय/स्थल का नाम	अधीनस्थ पदाधिकारी का नाम	किनके ठहराव हेतु
01	कलाभवन, मधेपुरा	जिला नजारत उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा	महिला पुलिस एवं महिला पुलिस पदाधिकारी
02	मधेपुरा डिग्री कॉलेज, मधेपुरा मधेपुरा इंटर कॉलेज, मधेपुरा	प्राचार्य, मधेपुरा डिग्री कॉलेज, मधेपुरा प्राचार्य मधेपुरा इंटर कॉलेज, मधेपुरा	पुलिस
03	ओ.बी.सी. छात्रावास, एस.एन.पी.एम. उच्च विद्यालय, मधेपुरा	प्राचार्या, एस.एन.पी.एम. उच्च विद्यालय, मधेपुरा	पुलिस पदाधिकारी

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त भवन में पुलिस पदाधिकारी/पुलिस एवं महिला पुलिस के ठहराव हेतु पेयजल, शौचालय ईत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

जिला नजारत उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त स्थानों पर विधुत व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-2347 /गो0, मधेपुरा, दिनांक-23/9/12

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मधेपुरा को भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त स्थलों पर पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी

A-3

27

पत्रांक............................/ दिनांक............................/

प्रेषकः— कार्यपालक अभियंता —सह— सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा।

सेवा में:— सचिव
लोक भारती सेवा आश्रम
एल0 आई0 सी0 कार्यालय के सामने, मधेपुरा।

विषयः— दिनांक 26.01.2013 को गणतंत्र दिवस समारोह 2013 के अवसर पर झाँकी का प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध मे।

प्रसंगः— जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का ज्ञापांक 23—2/सा0, मधेपुरा, दिनांक 05.01.13

महाशय,

दिनांक 05.01.13 को जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह 2013 का सफल आयोजन हेतु आहुत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निर्मल भारत अभियान से सम्बन्धित झाँकी के प्रस्तुतीकरण हेतु एतद द्वारा आपको अनुमति प्रदान की जाती है।

यह कार्य सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मधेपुरा एवं जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा की देख—रेख में सम्पन्न कराना होगा तथा वास्तविक खर्च के आधार पर विपत्र भुगतान हेतु द्वितीयक में प्रस्तुत करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता —सह— सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा।

ज्ञापांक....07..................../ दिनांक....19-1-13............/

प्रतिलिपिः— सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मधेपुरा/जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि ससमय लोक लुभावन झाँकी का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाय।

19/01/13

कार्यपालक अभियंता —सह— सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा।

19/1/13

Ar-3

28

पत्रांक 03 / दिनांक 5-1-13 /

प्रेषक:— कार्यपालक अभियंता सह—सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा।

सेवा में, सचिव,
लोक भारती सेवा आश्रम, मधेपुरा।

विषय:— सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत प्राथमिक / मध्य विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए शौचालय व निर्माण कार्य के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मधेपुरा प्रखण्ड अन्तर्गत निम्न पंचायत के निम्नलिखित प्रा0 / मध्य विद्यालयों स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप बालक एवं बालिकाओं के लिए शौचालय के निर्माण कार्य की अनुमति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

(1) उक्त कार्य पत्र निर्गत तिथि के 20 दिन के अन्दर सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, मधेपुरा / मुरलीगंज एवं उदाकिशुनगंज के देख—रेख में सम्पादित करना होगा।

(2) निर्धारित अवधि तक कार्य संपन्न नहीं किये जाने पर अधोहस्ताक्षरी दुसरे स्वंय सेवी संस्थाओं को यह कार्य आवंटित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

(3) कार्य सपादन के पश्चात शौचालय स्थल चयन / निर्माण चेक लिस्ट एवं विद्यालय शौचालय को पूर्ण रूप से विद्यालय को हस्तान्तरित प्रपत्र को भरकर हस्ताक्षरोपरान्त निर्मित शौचालयों का फोटो ग्राफ सहित भुगतान हेतु विपत्र द्वितीयक में प्रस्तुत करेंगे।

(4) शौचालय निर्माण के पश्चात उपयोग में लाये जाने वाले सामग्री यथा ईंट, मिट्टी एवं बालू पर लगने वाले रोयालिटी की कटौती विपत्र से कर ली जायेगी।

(5) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत निर्माण होने वाले मॉडल के अनुरूप शौचालय पूर्व से विद्यालय में निर्मित / अर्द्ध निर्मित हो तो वहाँ शौचालय का निर्माण कार्य नहीं करेंगे।

क्र0सं0	प्रखंड का नाम	विद्यालय का नाम
1	कुमारखंड	म0 वि0 श्रीनगर
2	कुमारखंड	म0 वि0 बिशनपुर सुन्दर
3	कुमारखंड	प्रा0 वि0 पोखड़ी टोल उर्दू
4	कुमारखंड	प्रा0 वि0 शिवनगर
5	मधेपुरा	प्रा0 वि0 पथराहा
6	सिंहेश्वर	प्रा0 वि0 गौड़ीपुर
7	आलमनगर	म0 वि0 कुंजौरी
8	आलमनगर	प्रा0 वि0 नवटोलिया
9	पुरैनी	म0 वि0 कड़ामा
10	शंकरपुर	प्रा0 वि0 विद्यालय बलुवाही
11	चौसा	कन्या मध्य वि0 चौसा
12	चौसा	प्रा0 वि0 अरजपुर मोठ
13	चौसा	म0 वि0 घटगामा
14	चौसा	प्रा0 वि0 अरजपुर मखतब उर्दू
15	चौसा	प्रा0 वि0 गिरवा टोला

विश्वासभाजन

[signature] 5/1/13

कार्यपालक अभियंता सह—सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, मधेपुरा।

b.4 Series 29

सेवा में,

श्रीमान्आयुक्त महोदय
कोसी प्रमण्डल सहरसा।

विषय: लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल मधेपुरा द्वारा कराये गए कार्य के उपरान्त भुगतान नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन हैकि हमारी संस्था योगा सेवा सदन एवं लोक भारती सेवा आश्रम विगत 5 वर्षो से लो० स्वा० अभि० वि० मधेपुरा के साथ मिलकर स्वच्छता के विभिन्न क्रियाकलापों का सफलता पूर्वक संचालन करते आ रही हैं। विभाग के निर्देशानुसार संस्था कार्यक्रम का गुणवत्ता पूर्वक संचालन किया। विगत पाँच वर्षो से काम के उपरान्त भुगतान ससमय होता आ रहा था पर जब से लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल मधेपुरा में कार्यपालक अभियंता श्री नारायण शंकर झा का पदस्थापन हुआ हैतब से कार्यके उपरान्त भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं भुगतान को लेकर दो बार श्रीमान जिला पदाधिकारी मधेपुरा के जनता दरवार मे एवं दो बार उपविकास आयुक्त को भी भुगतान काराने संबंधी आबेदन दे चुंका हूँ। श्रीमान्जिला पदाधिकारी महोदय एवं उपविकास आयुक्त के आदेश के बावजुद भी भुगतान नही दिया गया अधिक कहनेपर आदेश नही देने और झुठी केस मे फँसाने की धमकी देते है और भुगतान नहीं करते हैं। **वरीय पदाधिकारी के आदेश को जाँच का बहाना बनाकार भुगतान को रोका हुआ है, जब कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था तो जाँच किस चीज कि होगी।** सच तो यह है की **40 प्रतिशत** की राशी घूष के रुप मे अग्रीम माँगी जाती है। नही देने पर भुगतान रोका हुआ है। जिसमें मुख्यत: वैसे कार्यक्रम हैं जो कार्यक्रम आनन फानन में कराया गया उस समय बताया गया कार्योपरान्त आदेश निर्गत कर भुगतान कर दिया जाएगा संस्था द्वारा जो भी कार्यक्रम संपन्न कराया गया हैउस सारे कार्यक्रम में लगभग सभी में सम्मानित पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, पांषद, और विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहें है। विगत छः महिने से विभाग द्वारा कराये गए शौचालय निर्माण कार्यका भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।

फोटोग्राफ से ही स्पष्ट हो जाता हैकि कार्यक्रम किस तरह से आयोजित हुआ है। माननीय पूर्वआयुक्त महोदय के द्वारा भी एक दो कार्यक्रम का उदघाटन हुआ हैऔर महोदय के द्वारा अन्यत्र भी प्रसंशा की गईहै। ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम कराया गया जिसकी लागत विवरणी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

अत: श्रीमान से नम्र निवेदन पूर्वक कहना हैकि संस्था की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस बिन्दु पर विचार कर भुगतान कराया जाय। जिसके लिए संस्था श्रीमान्का सदा आभारी रहेगी।

अनुलग्नक:

1. **कुछ कार्यादेश की छायाप्रति**
2. **फोटोग्राफ**

श्रीमान का विश्वासी

धर्मेन्द्र सिंह
(लोक भारती सेवा आश्रम, मधेपुरा)
9939219396
24-1-14
रंजना कुमारी
योगा सेवा सदन

7.1.14 /०. 30

सेवा में,

श्रीमान्आयुक्त महोदय

कोसी प्रमण्डल सहरसा।

विषयः लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल मधेपुरा द्वारा कराये गए कार्य के उपरान्त भुगतान नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन हैकि हमारी संस्था योगा सेवा सदन एवं लोक भारती सेवा आश्रम विगत 5 वर्षों से लो० स्वा० अभि० वि० मधेपुरा के साथ मिलकर स्वच्छता के विभिन्न क्रियाकलापों का सफलता पूर्वक संचालन करते आ रही हैं। विभाग के निर्देशानुसार संस्था कार्यक्रम का गुणवत्ता पूर्वक संचालन किया। विगत पाँच वर्षों से काम के उपरान्त भुगतान ससमय होता आ रहा था पर जब से लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल मधेपुरा में कार्यपालक अभियंता श्री नारायण शंकर झा का पदस्थापन हुआ हैतब से कार्यके उपरान्त भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैं भुगतान को लेकर दो बार श्रीमान जिला पदाधिकारी मधेपुरा के जनता दरबार मे एवं दो बार उपविकास आयुक्त को भी भुगतान काराने संबंधी आवेदन दे चुका हूँ। श्रीमान्जिला पदाधिकारी महोदय एवं उपविकास आयुक्त के आदेश के बावजुद भी भुगतान नही दिया गया अधिक कहनेपर आदेश नही देने और झुठी केस मे फँसाने की धमकी देते है और भुगतान नहीं करते हैं। **वरीय पदाधिकारी के आदेश को जाँच का बहाना बनाकार भुगतान को रोका हुआ है, जब कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था तो जाँच किस चीज कि होगी।** सच तो यह है की **40 प्रतिशत** की राशी घूष के रुप मे अग्रीम माँगी जाती है। नही देने पर भुगतान रोका हुआ है। जिसमें मुख्यतः वैसे कार्यक्रम हैं जो कार्यक्रम आनन फानन में कराया गया उस समय बताया गया कार्योपरान्त आदेश निर्गत कर भुगतान कर दिया जाएगा संस्था द्वारा जो भी कार्यक्रम संपन्न कराया गया हैउस सारे कार्यक्रम में लगभग सभी में सम्मानित पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, पांषद, और विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहें है। विगत छः महिने से विभाग द्वारा कराये गए शौचालय निर्माण कार्यका भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।

फोटोग्राफ से ही स्पष्ट हो जाता हैकि कार्यक्रम किस तरह से आयोजित हुआ है। माननीय पूर्वआयुक्त महोदय के द्वारा भी एक दो कार्यक्रम का उदघाटन हुआ हैऔर महोदय के द्वारा अन्यत्र भी प्रसंशा की गईहै। ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम कराया गया जिसकी लागत विवरणी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन पूर्वक कहना हैकि संस्था की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस बिन्दु पर विचार कर भुगतान कराया जाय। जिसके लिए संस्था श्रीमानका सदा आभारी रहेगी।

अनुलग्नकः

1. **कुछ कार्यादेश की छायाप्रति**
2. **फोटोग्राफ**

श्रीमान का विश्वासी

धर्मेन्द्र सिंह

(लोक भारती सेवा आश्रम, मधेपुरा)

9939213396

किरण कुमारी

योगा सेवा सदन

सेवा में,

जिला पदाधिकारी महोदय
मधेपुरा।

विषयः— लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल मधेपुरा अन्तर्गत (जिला जल एवं स्वच्छता समिति मधेपुरा) द्वारा कराये गए कार्य के उपरान्त भुगतान नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि हमारी संस्था **योगा सेवा सदन** विगत **5 वर्षों** से लो0 स्वा0 अभि0 वि0 मधेपुरा के साथ मिलकर स्वच्छता के विभिन्न क्रिया कलापों को सफलता पूर्वक संचालन करते आ रही हैं।विभाग के निर्देशानुसार संस्था कार्यकम का गुणवत्ता पूर्वक संचालन किया। विगत पाँच वर्षों से काम के उपरान्त भुगतान ससमय होता आ रहा था पर जब से लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल मधेपुरा में कार्यपालक अभियंता श्री नारायण शंकर झा का पदस्थापन हुआ है तब से कार्य के उपरान्त भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः वैसे कार्यकम हैं जो कार्यकम आनन–फानन में कराया गया उस समय बताया गया कार्योपरान्त आदेश निर्गत कर भुगतान कर दिया जाएगा संस्था द्वारा जो भी कार्यकम संपन्न कराया गया है उस सारे कार्यकम में लगभग सभी में सम्मानित पदाधिकारी, **मंत्री, विधायक, पाषद्, और विभागीय पदाधिकारी** मौजूद रहें है।अवर प्रमण्डल पदाधिकारी लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंण्डल मधेपुरा/ किशुनगंज/मुरलीगंज के द्वारा भी इसी तरह के समस्याओं को प्रकाश में लाया गया है और मौखिक आदेश के विरूद्ध भुगतान नही करने और मानसिक प्रताड़ित किये जाने की बात सामने आ रही है। **विगत छः महिने से विभाग द्वारा कराये गए शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।**

फोटोग्राफ से ही स्पष्ट हो जाता है कि कार्यकम किस तरह से आयोजित हुआ है। माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा भी एक दो कार्यकम का उदघाटन हुआ है और महोदय के द्वारा अन्यत्र भी प्रसंशा की गई है। ऐसे बहुत सारे कार्यकम कराया गया जिसकी लागत विवरणी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि विगत 19.09.2013 के जनता दरबार में भी इस समस्या को लेकर उपस्थित हुआ था पर मुझे कोई सफलता नहीं मिल पाई। कार्यपालक अभियंता लो0 स्वा0 प्र0 मधेपुरा से मिलने पर उन्होने मुझे दुत्कारा और कोई भी मौखिक आदेश नहीं देनें और कोई भी बील नहीं होने और भुगतान नहीं करने की बात कही और यह भी कहा कि मेरा डी0 एम0, सी0 एम0 कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं पुनः नई उम्मीद के साथ आया हूँ कि संस्था की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस बिन्दु पर विचार कर भुगतान कराया जाय। जिसके लिए संस्था श्रीमान का सदा आभारी रहेगी।

श्रीमान का विश्वासी

अनुलग्नकः—
1.कुछ कार्यादेश की छायाप्रति
2.फोटोग्राफ

PHED Bill Details

Of Yoga Seva Sadan

S.N.	Particular Bill	Amount	Received Amount	Signature
1	Maha Shivratri Fare Singheshwar 2012	162570.00	00	
2	Ganesh Chaturthi Singhishwar 2012	9000.00	00	
3	Maha Shivratri Fare Singheshwar 2013	95350.00	00	
4	Singheshwar Mela Sochalay 2013	75000.00	40,000	
		3,41,920.00		

P.H.E.D. School & Anganwari sochalay Bill Details:- Yoga seva sadan.

S.N	Particular Bill	Amount	Recived Amount	Signature
01.	Deo narayan M.S.Toka(Gamaharia)	68733.00	0000.00	
02.	Primary School Gorhiyari	68733.00	0000.00	

1,37,466.00

6.8.13

सेवा में,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

जिला जल स्वच्छता समिति मधेपुरा।

सह

जिला उप विकाश आयुक्त मधेपुरा।

विषयः— लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल मधेपुरा द्वारा कराये गए कार्य के उपरान्त भुगतान नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि हमारी संस्था लोक भारती सेवा आश्रम 5 वर्षों से लो० स्वा० अभि० वि० मधेपुरा के साथ मिलकर स्वच्छता के विभिन्न किया कलापों का सफलता पूर्वक संचालन करते आ रही हैं।विभाग के निर्देशानुसार संस्था कार्यकम का गुणवत्ता पूर्वक संचालन किया। विगत पाँच वर्षों से काम के उपरान्त भुगतान ससमय होता आ रहा था पर जब से लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल मधेपुरा में श्री नारायण शंकर झा का पदस्थापन हुआ है तब से कार्य के उपरान्त भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः वैसे कार्यकम हैं जो कार्यकम आनन–फानन में कराया गया एक दो कार्यक्रम का कार्यादेश संस्था के नाम से निर्गत भी किया गया और कई कार्यक्रमों का कार्यादेश संस्था के नाम से निर्गत नहीं किया गया कार्यपालक अभियंता द्वारा कहा गया कि विभाग को अविलंव आदेश दिया गया है। कार्यपूर्ण होने के उपरांत संस्था के नाम से कार्यादेश निर्गत कर भुगतान कर दिया जाएगा,या विभागीय भुगतान किया जाएगा संस्था द्वारा जो भी कार्यकम संपन्न कराया गया है उस सारे कार्यकम में लगभग सभी में सम्मानित पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, पार्षद, और विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहें है।विगत छः महीनें से विभाग द्वारा कराए गए शौचालय निर्मान कार्य का भुगतान भी नही किया जा रहा है।

फोटोग्राफ से ही स्पष्ट हो जाता है कि कार्यकम किस तरह से आयोजित हुआ है।ऐसे बहुत सारे कार्यकम कराया गया जिसकी लागत विवरणी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन पूर्वक कहना है कि संस्था की वितीय स्थिति को देखते हुए इस बिन्दु पर विचार कर भुगतान कराया जाय।

जिसके लिए संस्था श्रीमान् का सदा आभारी रहेगी।

श्रीमान का विश्वासी

JOINT SECRETARY
LOK BHARTI SEVA ASRAM
PO Kunauli Dist. Supaul (Bihar)

अनुलग्नकः–

(1.) कार्यादेश की छायाप्रति

(2.) फोटोग्राफ